



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05122022-240815
CG-DL-E-05122022-240815

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5434]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 5, 2022/अग्रहायण 14, 1944

No. 5434]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 5, 2022/AGRAHAYANA 14, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 2022

का.आ. 5666(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट राजस्थान राज्य में 4 लेन साधुवाली से बनवाला और बनवाला से हनुमानगढ़ खंड का निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन आदि) कार्य के किमी 37.25 किमी. से 69.70 किमी तक के भूखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचा लन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन कि तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

राजस्थान राज्य में 4 लेन साधुवाली से बनवाला और बनवाला से हनुमानगढ़ खंड के अंतर्गत जिला हनुमानगढ़ के किमी. 37.25 से किमी. 69.70 तक के निर्माण कार्य (चौड़ा करने / चार लेन आदि) के अंतर्गत भूमि का अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ़ ()	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या No Yet to be Assigned के कि.मी. 37.25 से 69.7 तक	राजस्थान	हनुमानगढ़	हनुमानगढ़	1 14 एसएसडब्लू

[फा. सं. NHAI/13085/1/2022/SDH-BNW-HMH/UPHAM/]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th December, 2022

S.O. 5666(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Km. 37.25 to Km. 69.7 of the Construction of 4 Lane National Highway from Sadhuwali to Banwala and Banwala to Hanumangarh Section in the District of Hanumangarh in the State of Rajasthan for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of RAJASTHAN.

SCHEDULE

Land acquisition on Construction of 4 Lane National Highway from Sadhuwali to Banwala and Banwala to Hanumangarh Section from Km 37.25 to km 69.70 in the District of Hanumangarh in the State of RAJASTHAN.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	SUB DIVISIONAL MAGISTRATE, HANUMANGARH ()	37.25KM To 69.7KM	RAJASTHAN	HANUMANGARH	Hanumangarh	1 14 Ssw

[F. No. NHAI/13085/1/2022/SDH-BNW-HMH/UPHAM/]

RAJESH GUPTA, Director